**हक के प्रत्याख्यान के आधार पर बेदखली के लिए वाद।**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित किया गया वादी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है -**

1. यह कि वादी ने एक लिखित किराया नोट के माध्यम से तारीख ........................ को ........................रुपये की एक मासिक रुपये से किराये पर उसके द्वितीय फर्श मैं तीन कमरों एवम् एक रसोई को अन्तर्विष्ट करने वाले ........................ एक नगर में मार्ग स्थित उसके भवन सं ........................ के एक भाग को पट्टे पर दे दिया।
2. यह कि वादी पर अंतिम अनेक वर्षों के लिए बकाया किराया रहा और लिखित अनुरोधों पर भी किराया की ओर एकल पैसे का संदाय नहीं किया और अंततोगत्वा वादी ने एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया जो तारीख ........................ को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गयी और उस नोटिस के उत्तर में, वादी ने यह अभिकथन किया कि वह प्रतिकूल कब्जे द्वारा भवन का स्वामी हो गया और यह कि वादी भवन के किसी भी भाग पर कोई हक नहीं रखता है।
3. यह कि वादी ने वादी के हक के प्रत्याख्यान के आधार पर उसके अभिधारण को समाप्त करने वाली एक दूसरी रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया है जिस नोटिस को तारीख........................ को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की जाती है।
4. यह एक वाद हेतुक तारीख ........................ को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी भवन के कथित भाग पर वादी के हक का लिखित रूप से अपने उत्तर के माध्यम से प्रत्याख्यान किया और आगे तारीख ........................ को जब प्रतिवादी ने उसकी अभिधृति का अवधारण कर वादी की एक दूसरी नोटिस प्राप्त किया और इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती है।
5. वाद का मूल्यांकन न्यायालय फीस के प्रयोजनार्थ पट्टे पर दिये गये आवासान के मासिक किराये की बारह गुनी रकम .........................रुपये पर किया जाता है और दावाकृत अनुतोषों के अनुसार न्यायालय फीस के प्रयोजनार्थ ........................ रुपये पर।

**दावाकृत अनुतोष :**

वादी निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करता है :

1. प्रतिवादी उपर्यक्त भवन के भाग से बेदखल कर दिया जाय और उसका कब्जावादी को प्रदान किया जायः
2. अंतिम तीन वर्षों से बकाया किराये के रूप में ........................रुपये हक के प्रत्याख्यान का तारीख के पूर्व प्रतिवादी से भुगतान करवायी जायः
3. हक के प्रत्याख्यान की तारीख से आवासन कब्जा परिदान किया जाने तक अंतःकालीन लाभ प्रतिवादी से वादी को प्रदान किया जाय।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी